प्रेस विज्ञप्ति

2.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने **पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रुप 'सी' और 'डी' स्टाफ भर्ती घोटाले** में चंदन मंडल और उनकी पत्नी के नाम पर 46.13 लाख रुपये की अचल संपत्तियां यानी जमीन के टुकड़े अस्थायी रूप से जब्त कर लिए हैं।

ईडी ने सीबीआई द्वारा विभिन्न धाराओं आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। इन मामलों में ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों की कथित अवैध नियुक्ति के लिए अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और निम्न रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति देने और योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित करने का आरोप है। आरोपों में निष्पक्षता बनाए रखे बिना, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आपराधिक साजिश रचने और संबंधित नियमों का उल्लंघन करके नियुक्ति करना शामिल है। इसके अलावा, सीबीआई के आरोपपत्रों से पता चला है कि कुल 3432 (ग्रुप 'सी' के लिए 1125 और ग्रुप 'डी' के लिए 2307) कर्मचारियों को डब्ल्यूबीसीएसएससी के अधिकारियों द्वारा अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश में ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों के पद के लिए अवैध रूप से नियुक्त/अनुशंसित किया गया था। चंदन मंडल प्रसन्न कुमार रॉय के एजेंटों में से एक था, जिसने उम्मीदवारों से विवरण एकत्र किए थे और साथ ही उनसे करोड़ों रुपये भी लिए थे, जिन्हें उसने प्रसन्न कुमार रॉय को सौंप दिया/स्थानांतरित कर दिया था।

ईडी ने पहले पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती घोटाले के इस मामले में **163.20 करोड़ रुपये** की संपत्ति जब्त की थी और **प्रसन्न कुमार रॉय** (उम्मीदवारों से पैसे और विवरण एकत्र करने में शामिल मुख्य बिचौलिया) और **चंदन मंडल** [प्रसन्न कुमार रॉय का मुख्य एजेंट) को गिरफ्तार किया था और दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती घोटाले के मामले में कुल जब्ती **163.66 करोड़ रुपये** है।

आगे की जांच जारी है।
